न्यायालय: **सत्र न्यायाधीश,गाजियाबाद।**

उपस्थित: **श्री राम कृष्ण उपाध्याय, उच्चतर न्यायिक सेवा**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या.....2275/2017

(रजिस्ट्रेशन नं०–2275/2017)

फिरोज पुत्र महमूद निवासी–ग्राम लाड़पुर थाना स्याना जिला बुलन्दशहर हाल पता ग्राम अकरपुर बहरामपुर थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद।

बनाम

उ०प्र०राज्य

आदेश

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त फिरोज की ओर से मु०अ०सं०–182/2017 अंतर्गत धारा 398,401 भा०द०सं० थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की पैरोकार/माता श्रीमती रेशमा पत्नी महमूद द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 24–04–2017 को उपनिरीक्षक प्रेम सिंह यादव मय अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ थाना हाजा से रपट सं०–44 समय 21.10 बजे गश्त चैकिंग करते हुए इतवार बाजार पुश्ता तिराहे पर पहुंचे तो मुखबिर खास ने बताया कि अन्डरपास के पास रखे खोखे के पीछे कुछ व्यक्ति चोरी की योजना बना रहे हैं, जल्दी करने पर पकड़े जा सकते हैं। पुलिस बल मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा तो खोखे के उत्तर में बैठे व्यक्तियों की बात सुनने पर पुलिस वालों को चोरों व लुटेरों की टोली होने का यकीन होने पर योजनाबद्ध एक बारगी दबिश देकर समय 2.00 बजे उक्त व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त फिरोज के कब्जे से एक अदद चाकू बरामद किया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है।अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त के कब्जे या स्वामित्व या निशानदेही पर कुछ भी बरामद नहीं है। दर्शित बरामदगी के समर्थन में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। घटनाक्रम में अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। सह अभियुक्त के इकबालिया बयान के अलावा अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त दिनांक 26–04–2017 से अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 26–04–2017 से अभिरक्षा में है। सह अभियुक्त मोनिस की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10–05–2017 को स्वीकार हो चुकी है।

अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 26–04–2017 से जेल में है। सह अभियुक्त मोनिस की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10–05–2017 को स्वीकार की जा चुकी है।

मामले के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों, तर्कों को दृष्टिगत् रखते हुए मेरी राय में अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु उचित आधार है।

अभियुक्त/आवेदक फिरोज का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/आवेदक को चालीस हजार रू० का व्यक्तिगत बंध पत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांकः15–05–2017

(रामकृष्ण उपाध्याय)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद